कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

मुख्यालय/HEADQUARTERS
पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi- 02
Phone: 011-23214092, VOIP: 10011067
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

e file No. F-16/13/AllIndiaBudget/2024-E-VI-Part(1) **Dated : 14 /01/2026**

ज्ञापन

बिषय :	वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए निधियों का बजट आंबटन।

विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली और मुख्यालय हेतु (चिकित्सा) निदेशक ,विनियोजन की प्राथमिक इकाई के अंतर्गत वर्ष 2026-2027 के लिए निधियों का आबंटन दर्शाते हुए **अनुलग्नक-'A' एवं 'B'** के रुप में संलग्न है जो कि केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन हैं। संलग्न विवरण में यथा उपलब्ध विनियोजन , समय पर वित्त एंव लेखा शाखा द्वारा जारी-की प्राथमिक इकाई के अंतर्गत बजट आबंटन को समय संशोधनों में उल्लिखित अनुदेशो के अनुसार वितरित किया गया है।

क्षेत्रीय निदेशकों आदि से अनुरोध है कि व्यय को दृढता से नियंत्रित करें तथा सुनिश्चित करें कि लेखा परीक्षा एंव लेखा नियम पुस्तक खण्ड-1 पैरा में यथा उल्लिखित को छोड़ किसी भी मसले में 449 बजट आबंटन से अधिक कोई भुगतान स्वीकार न किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संदर्भित कार्यालय ज्ञापन के पैरा में उल्लिखित अनुदेशों का दृढ़ता से पालन किया जाए तथा व्यय नियंत्रण 3 -रजिस्टर की लेखा नियम पुस्तक खण्ड1 अध्याय XXII के अनुसार मॉनिटरिंग की जाएं।

इसके अलावा स्टाफ कारों के लिए पैट्रोल की खपत स्थानांतरण एवं कार्यालय दौरे पर यात्रा भत्ते और समयोपरि भत्ते पर व्यय के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किफायत के अनुदेशों का-निरपवाद रूप से दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए तथा व्यय को निर्धारित सीमा के भीतर बनाये रखा जाये।

आंवटित बजट के अंतर्गत कुल व्यय तथा कुल प्रशासनिक व्यय को " व्यय पर नियंत्रण " के विवरण में निरपवाद रुप से अलग से दर्शाया जाए तथा वह प्रत्येक माह -तिमाही से संबंधित विवरण प्रपत्र क/107 में अगले माह की तारीख तक मुख्यालय में पहुँच जानी चाहिए। कृपया उक्त विवरण की प्रति 20 -मुख्यालय की स्थापना शाखा6 को अलग से अवश्य भेंजे।

DCBO में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन का भुगतान object-Head-"Expenditure on DCBO" under Major Head-"Medical Benefits" से किया जाए।

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों अस्पतालों से निवेदन है कि मुख्यालय/.का.क्षे.उ/द्वारा आवंटित बजट का पुनर्विनियोजन एक लेखा शीर्ष से दूसरे पर अपने स्तर पर न करें।

संलग्नक : यथोपरि।

14/01/26

सहा. निदेशक, स्था. -VI

सेवा में,

1. सभी क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
2. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, NTA द्वारका दिल्ली।
3. सभी निदेशक/संयुक्त निदेशक (प्रभारी)उप क्षेत्रीय कार्यालय।
4. सभी चिकित्सा अधीक्षक/निदेशक (चिकित्सा),क.रा.बी.अस्पताल/मॉडल अस्पताल।
5. मुख्यालय के सभी संबन्धित शाखाएं।
6. वैबसाइट सामग्री प्रबंधक, मुख्यालय -निगम वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।